राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
विशाल कॉम्प्लैक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आई0ई0सी0/मेला महो0/2015–16/02/8235-75 **दि0–** 1/12/15

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं/सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय परम्परागत मेलों ~~का आयोजन~~ के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आर0ओ0पी0 वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा एफ0एम0आर0 बी 10.5 Targeting Nautrally Occuring Gathering of People/ Health Mela मद में प्रति जनपद रू0 1 लाख की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस गतिविधि का अनुमोदन राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2015 में प्रदान किया जा चुका है। जनपदीय मेला/महोत्सव हेतु प्रदेश के 75 जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति में प्रति जनपद रू० 1.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसका उपयोग वर्ष 2015–16 में कर लिया जाना है। प्रेषित धनराशि का उपयोग निम्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

जनपदीय मेला/महोत्सव के आयोजन हेतु दिशानिर्देशः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर उ0प्र0 पर्यटन विभाग के सौजन्य से आयोजित होने वाले पारम्परिक मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु किया जाये। यदि जनपद में उ0 प्र0 पर्यटन द्वारा कोई मेला नहीं कराया जा रहा है उस अवस्था में जनपद में आयोजित होने वाले अन्य पारम्परिक मेला/महोत्सव में प्रतिभाग किया जाये।
2. मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, की स्टॉल पर RMNCH+A काउन्सलर की ड्यूटि लगाई जाये जिसके द्वारा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत लक्षित कार्याक्रमों की जानकारी दी जाये तथा स्टॉल पर समुदाय को वितरित किये जाने के लिये लीफलेडस भी उपलब्ध कराया जाये।
3. मेला/महोत्सव में टी.वी. प्रोजेक्टर के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सम्बंधित औडीयो/वीडियो स्पॉटस का प्रसारण कराया जाये।
4. मेला/महोत्सव में बैनर लोक कला दल/ विज्ञापन/स्टैंडीज आदि के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2015–16 के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाये।
5. स्थानीय आवश्यकता के द्रष्टिगत अन्य प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–

- मेला/महोत्सव के लिये आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- मेला/महोत्सव हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

30/11/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आई0ई0सी0/मेला महो0/2015–16/02/ तद्दि0–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. निदेशक, आई.ई.सी. ब्यूरो, उ0प्र0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
5. मण्डलीय उपर निदेशक, चि0स्वा0एवं प0क0, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक